

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

UTTAR PRADESH GRAMIN BANK

प्र.का./01/रेफरल/2025-26/05

दिनांक: 01.05.2025

परिपत्र उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की समस्त शाखाओं / कार्यालयों को

महोदय,

विषय – तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय हेतु कॉर्पोरेट टाई-अप कंपनियों द्वारा बीमा कराने के संबंध में दिशानिर्देश

पूर्ववर्ती बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक एवं आर्यावर्त बैंक द्वारा कॉर्पोरेट एजेंसी अनुबंध अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अनुबंधित बीमा कंपनियों के माध्यम से ग्राहकों को जीवन बीमा (Life Insurance), स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) तथा ऋण वितरण के उपरांत बंधक परिसंपत्तियों का सामान्य बीमा (General Insurance), उपलब्ध कराया जा रहा था :

Segment	e-Baroda U.P. Bank	e-Prathma UP Gramin Bank	e-Aryavart Bank
Life Insurance Tie Up Partner	India First Life Insurance Company	PNB MetLife India Insurance Company Limited	SUD Life Insurance Company Ltd.
		Bajaj Allianz Life Insurance Company	Bajaj Allianz Life Insurance Company
Health Insurance Tie Up Partner	Care Health Insurance Company Limited	Care Health Insurance Company Limited	Care Health Insurance Company Limited
	Niva Bupa Health Insurance Company Ltd.		
	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.		
General Insurance Tie Up Partner	The Oriental Insurance Company	Future Generali Insurance Company Ltd	Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd.
	Reliance General Insurance Company Limited		Reliance General Insurance Company Limited
	SBI General Insurance Company Ltd		The New India Assurance Co. Ltd.

उपरोक्त के आलोक में शाखाओं / कार्यालयों को बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में अग्रिम आदेशों तक निम्नवत अवगत कराया जाता है :

जीवन बीमा: अग्रिम आदेशों तक अब कोई भी नया जीवन बीमा व्यवसाय नहीं होगा परन्तु पूर्व की भांति एवं पूर्व के नियम एवं शर्तों के अनुरूप ही सभी पुरानी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण होता रहेगा। अतः शाखायें उनका नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें जिससे ग्राहकों को बीमा का लाभ प्राप्त होता रहे।

स्वास्थ्य बीमा: अग्रिम आदेशों तक अब कोई भी नया स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय नहीं होगा परन्तु पूर्व की भांति एवं पूर्व के नियम एवं शर्तों के अनुरूप ही ग्राहक के अनुरोध पर पुरानी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण होता रहेगा। अतः शाखायें उनका नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें जिससे ग्राहकों को बीमा का लाभ प्राप्त होता रहे।

Head Office : 2nd & 3rd Floor, Block A, NBCC Commercial Complex, Vardan Khand, Gomti Nagar Extension, Lucknow -226010

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

UTTAR PRADESH GRAMIN BANK

सामान्य बीमा: अग्रिम आदेशों तक ऋण वितरण के पश्चात बंधक अथवा ऋण योजना में वर्णित परिसम्पत्तियों एवं सृजित संपत्तियों का सामान्य बीमा कराना अनिवार्य है अतः शाखायें किसी भी प्रतिष्ठित सामान्य बीमा कम्पनी से इनका बीमा करवाने हेतु स्वतंत्र हैं। शाखायें पूर्व में प्रेषित किये गये प्रीमियम दर से तुलना करने के पश्चात ही प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी को अंतरण करें जिससे किसी ग्राहक को नुकसान ना हो। अगर कोई ग्राहक कहीं और से कम प्रीमियम दर पर बीमा करवाना चाहता है तो वो इसके लिए भी स्वतंत्र है, परन्तु शाखायें यह सुनिश्चित करें कि उस बीमा में बैंक clause डाला गया है।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों को अपनी शाखा/कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों के संज्ञान में तत्काल रूप से लाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,



(धनश्याम सिंह)

महा प्रबंधक

